

पत्रांक 15/पी 5 -01/2016 28

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

प्रेषक,

अरशद फिरोज, बि०प्र०से०
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

*द्वारा :-

आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक 23/7 2018

विषय: वित्तीय वर्ष 2018-19 में केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान स्कीम अन्तर्गत राज्यांश के रूप में रू० 40,00,000/- (चालीस लाख) मात्र सहायक अनुदान व्यय की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान स्कीम अन्तर्गत राज्यांश के रूप में रू० 40,00,000/- (चालीस लाख) मात्र सहायक अनुदान व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. स्वीकृत की जा रही राशि के व्यय का विकलन मांग संख्या 21, मुख्य शीर्ष - 2202 - सामान्य शिक्षा, उपमुख्य शीर्ष 03 विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा, लघुशीर्ष 102 विश्वविद्यालयों को सहायता, उपशीर्ष 0323 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, विपत्र कोड 21-2202031020323, PFMS CODE- 9170, विषय शीर्ष 0323. 31. 05 सहायक अनुदान परिसम्पतियों के निर्माण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में किया जाएगा।

3. इस स्कीम के तहत भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश के रूप में निम्नवत् राशि स्वीकृत की गई है :-

क्र०	भारत सरकार का पत्रांक/दिनांक	राशि
01	F.No. 24-26/2014-U.Policy (BHIGC/GEN) dated 30.11.2017	46,50,000/-
02	F.No. 24-26/2014-U.Policy (BHIGC/SC) dated 30.11.2017	9,00,000/-
03	F.No. 24-26/2014-U.Policy (BHIGC/ST) dated 30.11.2017	4,50,000/-
	कुल	60,00,000/-

स्पष्टतः केन्द्र सरकार द्वारा इस स्कीम के तहत केन्द्रांश के रूप में उक्त रू० 60,00,000/- (साठ लाख) मात्र राशि वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्वीकृत हुई है, जिसकी निकासी वित्तीय वर्ष 2017-18 में नहीं हुई है। फलस्वरूप उक्त केन्द्रांश एवं उसके समानुपातिक राज्यांश की राशि (40%) वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वीकृत किया जाना अपेक्षित है। तदालोक में उक्त केन्द्रांश के विरुद्ध देय राज्यांश की राशि रू० 40,00,000/- (चालीस लाख) की स्वीकृति इस स्वीकृत्यादेश के द्वारा प्रदान की जा रही है। उल्लेखनीय है कि इस स्कीम के तहत केन्द्र एवं राज्य की देयता 60:40 के अनुपात में निर्धारित है।

4. स्वीकृत की जा रही राशि की निकासी पूर्व प्राप्ति रसीद के आधार पर अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, शिक्षा विभाग द्वारा नया सचिवालय कोषागार, विकास

भवन, बेली रोड़, पटना की जाएगी एवं एकमुश्त बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से सचिव-सह-राज्य परियोजना निदेशक को उपलब्ध कराई जाएगी, जो इस राशि का व्यय कंडिका 3 में वर्णित भारत सरकार के पत्र में निहित निदेशों एवं वर्णित योजनाओं के लिए करेंगे।

5. स्वीकृत की जा रही पटना वीमेन्स कॉलेज, पटना के आधारभूत संरचना विकास हेतु राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् द्वारा इस महाविद्यालय के खाते इस स्कीम के मार्गदर्शिका के अनुसार अंतरण की जाएगी। राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् द्वारा यह राशि इस महाविद्यालय के अनुमोदित संस्थागत विकास योजना के अनुसार ही विमुक्त किया जाएगा।

6. स्वीकृत की जा रही राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् द्वारा राज्य सरकार को विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराया जाएगा। स्वीकृत राशि से होने वाले योजनाओं के क्रियान्वयन एवं उसकी गुणवत्ता के लिए संबंधित संस्थान के प्रधानाचार्य एवं राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् के संबंधित पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे एवं किसी प्रकार के कदाचार की स्थिति में विभाग नियमानुकूल कार्रवाई कर सकेगी।

7. यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या 15/पी 5-01/2016 में दिनांक 18/7/18 को पृष्ठ 91/टि0 पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं वित्त विभागीय संकल्प संख्या 3758 दिनांक 31.05.2017 की कंडिका 7 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

8. इस स्वीकृत्यादेश से वित्त विभाग के पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 एवं महालेखाकार बिहार के पत्रांक 877-907 दिनांक 08.11.2007 के आलोक में आवंटन आदेश निर्गत होने के पश्चात् राशि निकासी की जाएगी। अतएव महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करना आवश्यक नहीं है।

9. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा राज्य सरकार के अंकेक्षण (वित्त) विभाग को यह अधिकार होगा कि वे इस अनुदान राशि का लेखा का अंकेक्षण करें। अतएव इसके लिए संपूर्ण राशि का लेखा जोखा अलग से रखा जाएगा।

10. निदेशक, उच्च शिक्षा, बिहार, पटना को इसकी सूचना दी जा रही है।

11. इस राशि का विचलन अन्य मदों पर नहीं किया जायेगा।

12. प्रस्ताव में माननीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(अरशद फिरोज)

सरकार के उप सचिव
पटना, दिनांक 23/7/2018

ज्ञापांक 15/पी 5-01/2016 28
प्रतिलिपि - विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/वित्त विभाग (स्कीम एवं बजट शाखा)/ योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि0, पटना/राज्य परियोजना निदेशक-सह-सदस्य सचिव, राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद्, पटना/निदेशक, उच्च शिक्षा/प्रधानाचार्य, पटना वीमेन्स कॉलेज, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उच्च शिक्षा/प्रशाखा पदाधिकारी- 05 एवं 15/रोकड़पाल, उच्च शिक्षा एवं विभागीय आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(अरशद फिरोज)

सरकार के उप सचिव